सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 31, गुरूवार, *शाके 1946*-अगस्त 22, *2024* *Sravana 31, Thursday, Saka 1946- August 22, 2024*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत शासन विभाग, राज, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 20, 2024

संख्या एफ 10 () उपचुनाव /जन/स्वा.शा./24/2536 :-चूंकि बांरा जिले की नगरपालिका अन्ता, बीकानेर जिले की नगर निगम बीकानेर, चितौडगढ़ जिले की नगर पालिका कपासन, चूरू जिले की नगर पालिका राजगढ, दौसा जिले की नगर परिषद दौसा, धौलपुर जिले की नगर परिषद धौलपुर एवं नगरपालिका बाडी, जालौर जिले की नगरपालिका भीनमाल, गंगापुर सिटी जिले की नगर परिषद गंगापुर सिटी, कोटा जिले की नगर निगम कोटा उत्तर, श्रीगंगानगर जिले की नगर परिषद श्रीगंगानगर तथा अनूपगढ जिले की नगर पालिका रायसिंहनगर के रिक्त वार्डो के निम्नलिखित स्थानों को भरने के लिए उप निर्वाचन किया जाना है:-

क. सं	जिले का नाम	क. सं	नगर निगम / परिषद/ पालिका का नाम	रिक्त वार्ड संख्या
1.	बांरा	1.	नगरपालिका अन्ता	28
	बांरा	2.	नगरपालिका अन्ता	15
	बांरा	3.	नगरपालिका अन्ता	17
2.	बीकानेर	4.	नगर निगम बीकानेर	3
3.	चितौडगढ़	5.	नगरपालिका कपासन	17
4.	चूरू	6.	नगरपालिका राजगढ़	6
	चूरू	7.	नगरपालिका राजगढ़	38
5.	दौसा	8.	नगर परिषद दौसा	17
6.	धौलपुर	9.	नगर परिषद धौलपुर	52
	धौलपुर	10.	नगरपालिका बाडी	26
7.	जालौर	11.	नगरपालिका भीनमाल	20
8.	गंगापुर सिटी	12.	नगर परिषद गंगापुर सिटी	8
	गंगापुर सिटी	13.	नगर परिषद गंगापुर सिटी	29
9.	कोटा	14.	नगर निगम कोटा उत्तर	36
10.	श्रीगंगानगर	15.	नगर परिषद श्रीगंगानगर	25
11.	अनूपगढ	16.	नगरपालिका रायसिंहनगर	24

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम सं. 18) की धारा 11 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसारण में राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंषा पर ऊपर वर्णित नगरीय निकायों के वार्डो के सदस्य पद के रिक्त स्थानों को भरने के लिए राज्य सरकार एतद्वारा मतदान की तिथि 05.09.2024 (गुरुवार)

नियत करती है, और ऊपर वर्णित नगरीय निकायों के रिक्त वार्डो के मतदाताओं से यह अपेक्षा करती है कि वह सदस्य पद के स्थानों को भरने के लिए उक्त अधिनियम एवं तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार अपने वार्ड के लिये एक सदस्य निर्वाचित कर दें ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
सुरेश कुमार ओला,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।